न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0
(पी0ए0) एक्ट हरदोई।

विशेष परिवाद सं0–10/2018

बाबा गोपालदास बनाम रामू पंडित व अन्य

दिनांकः 27.02.2019

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी के विन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0स0 प्रस्तुत किया था, न्यायालय के आदेश दिनांकित–24.07.2018 द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0स0 को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि परिवादी एक सीधा साधा अनुसूचित जाति धोबी बिरादरी का व्यक्ति है, जो अपना आश्रम बनाकर कई वर्षों से रह रहा है। परिवादी को आश्रम पर आकर दिनांक 25.02.2017 को समय करीब 05.00 बजे दिन को विपक्षीगण रामू पंडित, संकटा महाराज पंडित एवं अतीक एक राय होकर आये और परिवादी को जाति सूचक शब्दों में मॉ बहन की गालियॉ दी और कह साला धोबी अपने को बहुत बड़ा बाबा मान रहा है। परिवादी ने कहा गालियॉ न दो, तब विपक्षीगण मारपीट करने पर अमादा हो गये और परिवादी अपने घर की ओर भागता हुआ जा रहा था। परिवादी को विपक्षी संख्या–3 ने पकड़ लिया और सब विपक्षीगण ने लाठी डंडों से मारने पीटने लगे और कहा साले धोबी अपने को बड़ा बाबा समझता है। मारते पीटते देखकर मौका पर पुत्तन पुत्र नन्हेंलाल, लालाराम पुत्र झब्बू, महेश, प्रकाश पुत्र जुग्गा व अन्य तमाम लोगों ने ललकारा तब विपक्षीगण जानमाल व जाति सूचक शब्दों में गालियॉ देते हुए चले गये। घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखाने के लिए गया किंतु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। परिवादी अपने आश्रम पर वापस आ गया, उसके बाद परिवादी के प्रार्थनापत्र की जानकारी विपक्षीगण को हुयी तो विपक्षीगण दिनांक–26.02.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम को आश्रम पर आये और परिवादी को जाति सूचक शब्दों में मॉ बहन की गालियॉ देते हुए कहा साले धोबी थाने पर प्रार्थनापत्र देने गया था, प्रार्थनापत्र से उसका कुछ नहीं होगा।

परिवादपत्र के समर्थन मे परिवादी द्वारा स्वयं का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 में तथा गवाहान पी0डब्लू0–1 पुत्तनलाल पी0डब्लू0–2 लालाराम के बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 अंकित कराये गये है।

परिवादी बाबा गोपालदास द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0स0 में कथन किया गया है कि वह धोबी जाति का है, धोबी जाति एस.सी. श्रेणी में आती है, वह रामलीला रोड के पास पिहानी में अपना आश्रम लगा रखा है। दिनांक–25.02.2017 को करीब 05.00 बजे शाम को रामू पंडित, अतीक व संकटा महाराज आश्रम पर आये, इन लोगों की उसकी बहुत बेइज्जती की बहुत मारा पीटा, जाति बिरादरी की गाली दी। रामू ने कहा कि धोबी का झांट बराबर बाबा बना घूमता है, सिद्धि दिखाता है। उसे मारा पीटा। उसे इन लोगों ने लाठी डंडों से मारा था। लाठी डंडे ये लोग साथ में लेकर ओय थे। मौके पर कौमी गांव के लालाराम आ गये थे। लालाराम ने उसे बचाया था। पड़ोस के पुत्तन भी आ गये थे। इनके अलावा भी बहुत से लोग आये थे। रामू ब्राम्हण हैं अतीक मुसलमान हैं, संकटा महाराज भी ब्राम्हण है। उसकी डाक्टरी हुयी थी। उपरोक्त कथनों का समर्थन पी0डब्लू0–1 पुत्तनलाल पी0डब्लू0–2 लालाराम ने अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में किया है।

परिवादपत्र, बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 का सम्यक परिशीलन करने पर प्रथम दृष्टया विपक्षीगण रामू पंडित, संकटा महाराज पंडित एवं अतीक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, भा.द.स. एवं धारा–3 (1) (आर) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का मामला बनता प्रतीत होता है। अतः न्यायालय के मत मे अभियुक्तगण उपरोक्त को प्रस्तुत मामले मे विचारणार्थ तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रस्तुत विशेष परिवाद सख्या–10/2018 थाना पिहानी, जिला हरदोई में अभियुक्तगण रामू पंडित, संकटा महाराज पंडित एवं अतीक को अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, भा.द.स. एवं धारा–3 (1) (आर) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारणार्थ तलब किया जाता है। गवाहान सूची दाखिल होने के उपरान्त अभियुक्तगण जरिये सम्मन तलब हों। आवश्यक पैरवी हो। वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण पत्रावली दिनांक–27.03.2019 को पेश हो।

(गजेन्द्र)
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट हरदोई।